गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद
(I.S.O.9001:2008 एवं I.S.O.14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक : /4/ई.ई. जोन–6/16 दिनांक :

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल मेरठ
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया श्री राकेश कुमार, सचिव, आम्रपाली विलेज रेजिडेंसियल वेलफेयर एसोसियेशन के जन शिकायती पत्र दिनांक 30.03.2016 जो इन्दिरापुरम योजना में काला पत्थर के निकट अवैध रूप से डम्पिंग यार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अवगत कराना है कि कथित डम्पिंग यार्ड की भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि नही है। उक्त भूमि का आंशिक भाग प्राधिकरण का है जिसका कब्जा अभी तक प्राधिकरण को प्राप्त नही है। वस्तुतः उक्त भूमि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु डम्पिंग यार्ड की तरह नही है। कथित स्थल पर वहॉ के निवासियों द्वारा कबाड़ी का कार्य कराया जाता है। कथित अवैध डम्पिंग ग्राउण्ड का प्रकरण आधारहीन है। अतः इस पर कोई कार्यवाही विधिक रूप से नही की जा सकती है। उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में भी श्री राकेश कुमार, सचिव आम्रपाली विलेज रेजीडेन्सियल वेलफेयर एसोसियेशन को प्राधिकरण के जन शिकायत संदर्भ संख्या 1913 दिनांक 21.06.16 के सम्बन्ध में पत्रांक सं0 898/4/ई.ई.जोन–6/16 दिनांक 25.06.16 के द्वारा सूचित किया गया है जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

209/PRO
17/8/16

(रवीन्द्र गोडबोले)
सचिव

पृष्ठांकन : 06 (II)/4/ई.ई.जोन-6 दिनांक : 05/08/2016

प्रतिलिपि– 1– श्री सुनील कुमार चौधरी, अनु सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– श्री राकेश कुमार, आम्रपाली ग्राम रेजीडेन्स वेलफेयर एसोसियेशन, आम्रपाली ग्राम, ज्ञान खण्ड–2, काला पत्थर, इन्दिरापुरम गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(I.S.O.9001:2008 एवं I.S.O.14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक : 698 / 4 / ई.ई. जोन–6 / 16 दिनांक : 25-06-16

सेवा में,

श्री राकेश कुमार
सचिव, आम्रपाली विलेज रेसिडेंसियल वेलफेयर एसोसियेशन
के–601, आम्रपाली विलेज, इन्दिरापुरम
गाजियाबाद।

विषय–जन शिकायत सन्दर्भ संख्या 1913 दि0 21.06.2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा प्रेषित जन शिकायती सन्दर्भ संख्या 1913 दिनांक 21.06.2016 जो इन्दिरापुरम योजना में काला पत्थर के निकट अवैध रूप से डम्पिंग यार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अवगत कराना है कि कथित डम्पिंग यार्ड की भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि नही है। उक्त भूमि का आंशिक भाग प्राधिकरण का है जिसका कब्जा अभी तक प्राधिकरण को प्राप्त नही है। वस्तुतः उक्त भूमि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु डम्पिंग यार्ड की तरह नही है। कथित स्थल पर वहाँ के निवासियों द्वारा कबाड़ी का कार्य कराया जाता है। कथित अवैध डम्पिंग ग्राउण्ड का प्रकरण आधारहीन है। अतः इस पर कोई कार्यवाही विधिक रूप से नही की जा सकती है। कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

(चक्रेश जैन)
अधिशासी अभियन्ता जोन–6

पृष्ठांकन : 698/4/ई.ई. जोन-6/16 दिनांक: 25-06-16

प्रतिलिपि–

प्रभारी, स्वागत कक्ष को जन शिकायत सन्दर्भ सं0 1913 दिनांक 21.06.2016 के निस्तारण हेतु।

अधिशासी अभियन्ता जोन–6